2011-12

भारत सरकार

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए

वार्षिक कार्यक्रम

ANNUAL PROGRAMME

FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

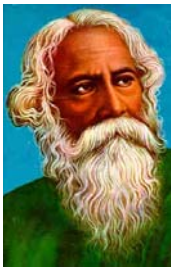

हम चाहते हैं कि सारी प्रांतीय बोलियां, जिनमें सुंदर साहित्य की सृष्टि हुई है, अपने-अपने घर में (प्रांत में) रानी बनकर रहें और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि हिंदी भारत-भारती होकर विराजती रहे ।

\- गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

2011-12

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए

वार्षिक कार्यक्रम

ANNUAL PROGRAMME

FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, दूसरा तल, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003 द्वारा प्रकाशित

Published by Department of Official Language (Ministry of Home Affairs),
IInd Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.
दूरभाष/Telephone 24698054, 24643622
E-mail : ru-ol@mha.nic.in ; dirimp_ol@nic.in ; techcell-ol@nic.in

विषय-सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1-3
2.	राजभाषा नीति से संबन्धित महत्वपूर्ण निर्देश	4-8
3.	हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2011-12 का वार्षिक कार्यक्रम - परिशिष्ट-I	9-11
4.	प्रस्तावना का परिशिष्ट-II	12-14
5.	प्रस्तावना का परिशिष्ट-III क से III थ	15-40
6.	राजभाषा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुबन्ध-I	41-43

प्रस्तावना

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है कि :

1. "यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी....."

1.1 उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इसके लिए हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के प्राधान्य के आधार पर जिन तीन क्षेत्रों के रूप में देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है, की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। इन तीनों क्षेत्रों, यथा - 'क','ख' और 'ग' का विवरण इस प्रकार है:-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य

वर्ष 2009-10 के दौरान हिंदी में निष्पादित किए गए कार्यों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि यद्यपि हिंदी में निष्पादित किए गए कार्यों के प्रतिशत में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, तथापि पिछले तीन वर्षों की अवधि (यथा, 2006-07 से 2008-09) में केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों में से प्रथम 20 सर्वोत्तम कार्य-निष्पादकों के वार्षिक औसत और उनके लिए निर्धारित किए गए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बीच भारी अंतर है। जहां तक क्षेत्र 'क' का संबंध हैं, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों और बैंकों के बेहतरीन प्रदर्शन की तीन वर्षों की उल्लिखित अवधि पर आधारित उनका वार्षिक औसत

प्रतिशत क्रमश: 71.5, 69.9 और 79.6 प्रतिशत है। इस प्रतिशत का परिकलन राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों के सम्मानार्थ व पुरस्कारार्थ उनके कार्यक्षेत्र में निहित गतिविधियों जैसे पत्राचार, टिप्पणी और निरीक्षण को आवंटित भार के आधार पर किया गया है। 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के बैंकों में हिंदी के प्रयोग के 77.1 प्रतिशत और 76.7 प्रतिशत की उपलब्धि रही है। इस प्रकार ये बैंक हिंदी के प्रयोग में अग्रणी संस्थाओं के रूप में उभरे हैं।

2. वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने में 'तर्कसंगतता' और 'धरातलीय यथार्थ' दो प्रमुख आधार रहे हैं। तर्क और विवेक की यह स्पष्ट मांग है कि लक्ष्यों के निर्धारण को श्रृंखला-स्वरूप किया जाए, जिसके अंतर्गत एक निश्चित श्रेणी व भौगोलिक क्षेत्र में 20 (बीस) उत्कृष्ट संगठनों के उपलब्धि स्तर का त्रिवर्षीय औसत न्यूनतम लक्ष्य – स्तर रहे, व मानक-आधारित लक्ष्य पूर्ववत् अक्षुण्ण बने रहें।

2.1 वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने में विगत वर्ष में अनजाने में हुई विसंगतियों में सुधार भी किए गए हैं। उदाहरण के लिए 'ख' क्षेत्र से 'क' और 'ख' क्षेत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पत्राचार का प्रतिशत 100% निर्धारित किया गया था, जबकि इसी क्षेत्र यथा 'ख' क्षेत्र से केंद्र सरकार के कार्यालयों से पत्राचार का प्रतिशत 90% निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार 'ग' क्षेत्र के मामले में, 'क' और 'ख' क्षेत्र के राज्य सरकार के कार्यालयों से पत्राचार का प्रतिशत 85% रखा गया था, जबकि उसी क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ पत्राचार का प्रतिशत 55% रखा गया था।

3. अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले श्रुतलेखन के लिए लक्ष्य तीनों क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र के लिए समान रूप से 20% रखा गया था। स्पष्टतया इसे हिंदी में पत्राचार और टिप्पण लेखन के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत बनाना व इसका प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक था । तदनुसार हिंदी में श्रुतलेखन/कुंजीपटल पर सीधे टंकण के लिए संशोधित लक्ष्य 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए यथोचित ढंग से क्रमश: 65%, 55% और 30% निर्धारित किया गया है । इस प्रकार भौगोलिक क्षेत्रवार भिन्न्ता को भी उपयुक्त तरीके से सम्मिलित किया गया है।

4. समसामयिक प्रवृत्तियों एवं समय की आवश्यकता के अनुरूप पुस्तकालयों के लिए हिंदी में पुस्तकों के लिए (पत्रिकाओं और मानक संदर्भ ग्रंथों को छोड़कर) 50% सीमा तक बजट संसाधनों के उपयोग हेतु युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाया गया है। "हिंदी पुस्तकों की खरीद" शब्द में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद कार्य तथा डिजिटल सामग्री, यथा – हिंदी की ई-पुस्तकों, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव आदि की खरीद पर खर्च की गई राशि को भी शामिल किया गया है।

5. माननीय गृह मंत्री द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम परिशिष्ट-I पर है ।

6. वर्ष 2010-11 में राजभाषा विभाग की वेबसाइट का व्यापक और कल्पनाशील ढंग से अभिनवीकरण और राजभाषा नीति के प्रमुख पहलुओं का सुविचारित अभिनिर्धारण मुख्य केंद्र-बिंदु रहे। राजभाषा विभाग की प्राथमिकताओं से भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों व विभागों के सचिवों को सचिव, राजभाषा विभाग के अर्ध-शासकीय पत्र सं. 12019/09/2010-रा.भा. (कार्या.-2), दिनांक 04.02.2011 के द्वारा अवगत कराया गया। संदर्भित पत्र की प्रतिलिपि और प्रमुख मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं/उत्तरों की प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट -II और परिशिष्ट III- क से III - थ में दी गई है। वास्तव में हिंदी में कार्य की प्रतिशतता को बढ़ाने पर केवल एकतरफा जोर डालने से तब तक कोई सहायता नहीं मिलेगी जब तक कि मानदंडों के अनुसार हिंदी पदों का सृजन करने, उनको समय से भरने और पिरामिडीय पदक्रम आधारित संवर्ग संरचना करने जैसे पक्षों को शामिल करते हुए गहनता और संर्वांगपूर्णता के साथ इन मुद्दों की जांच न की जाए। ऐसा करने की आवश्यकता न केवल मुख्य मंत्रालय/विभाग के लिए है, बल्कि उस मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों, संबद्व कार्यालयों और स्वायत्तशासी निकायों के लिए भी है। अन्य मूलभूत मुद्दों में द्विभाषी और अद्यतन वेबसाइटों की संरचना, जिसके लिए किसी बाहरी एजेंसी को यह कार्य सौंपना भी एक अधिक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है; नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) में कार्यालय प्रमुखों द्वारा तत्परता के साथ भागीदारी; अत्याधुनिक आईटी उपकरणों के प्रयोग द्वारा हिंदी में अनुवाद कौशल और टंकण विशेषज्ञता के प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नामित करना; और ई-डाटा एवं ई-फाइलों के अंतरण की सुविधा के लिए यूनीकोड का अनिवार्यत: प्रयोग एवं आपके पेशेवर क्षेत्रों से संबंधित बिषयों पर हिंदी में संवाद/संगोष्ठियां आयोजित करना शामिल है।

7. राजभाषा विभाग, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एवं केन्द्रीय उपक्रमों से, समस्त कार्यपालिका को राजभाषा प्रयोग सम्बन्धी सौंपे गए संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के निष्पादन में, और वर्ष 2011-12 के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में, अभीष्ट व स्वैच्छिक समर्थन की आशा और अपेक्षा करता है।

(वीणा उपाध्याय)
सचिव, राजभाषा विभाग
केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार

राजभाषा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश

संगत अधिनियम, नियमों, राष्ट्रपति जी के आदेशों व सामान्य आदेशों/कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति संबंधी महत्वपूर्ण निदेशों के सुलभ पुनर्स्मरण हेतु उनका पुन: निम्नवत उल्लेख किया जा रहा है :-

राजभाषा अधिनियम, 1963

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले राजकीय कागज-पत्र संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा - प्ररूप द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएंगे।

राजभाषा नियम, 1976

(क) नियम 12 में स्पष्ट उल्लेख है कि :-

(1) केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह –

(i) यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है; और

(ii) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें।

(2) केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को समय- समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है।

(ख) नियम 11 में उल्लेख है कि सभी मैनुअल, संहिताए और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में मुद्रित और प्रकाशित किया जाएगा। इसमें आगे यह भी उल्लेख है कि सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगी।

(ग) नियम 5 में व्यवस्था है कि हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे।

(घ) केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम नियम 10(4) के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचित किए जांएगे। नियम 8(4) में

व्यवस्था की गई है कि केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा।

राजभाषा संकल्प दिनांक 18.01.1968

1 संकल्प में यह व्यवस्था की गई है कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके।

(ख) एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागो में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ।

(ग) उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी भी स्थिति हो, का उच्च स्तरीय ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित होगा।

(घ) परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।

राष्ट्रपति जी के आदेश

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा अब तक आठ खंडों में प्रस्तुत की जा चुकी सिफारिशों के आधार पर 1988 से 2008 के बीच राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति जी के इन आदेशों मे से कुछ प्रमुख आदेश इस प्रकार हैं :-

(क) प्रत्येक स्वरूप का प्रशिक्षण, चाहे वह दीर्घावधि हो या अल्पावधि, क एवं ख क्षेत्रों में सामान्यत: हिंदी माध्यम से प्रदान किया जाए। ग क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जाए और प्रशिक्षार्थियों को यह सामग्री उनकी आवश्यकता के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

(ख) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने सभी प्रशिक्षण संस्थानों को निदेश देंगे कि वे राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी तरह करें जैसे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में की गई है और अपने हिंदी विषयों का आवश्यक साहित्य तैयार करें, ताकि प्रशिक्षण के बाद अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्य राजभाषा हिंदी में सरलता से कर सकें।

(ग) अनुवाद कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाए जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए करने की संभावना हो और जिनके पास हिंदी/अंग्रेजी दोनों का स्नातक स्तर पर ज्ञान हो।

(घ) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने कर्मचारियों को राजभाषा विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियमित रूप से नामित करें और उन्हें नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने, कर्तव्यनिष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा परीक्षा में बैठने का निदेश दे। प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देने अथवा परीक्षा में अनुपस्थित रहने जैसे मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

(ङ) अनुवादकों को सहायक साहित्य, मानक शब्दावलियां (अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी) और अन्य तकनीकी शब्दकोश उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे उनका उपयोग अपने अनुवाद कार्य में कर सकें।

(च) सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपने उत्तरदायित्वों से संबंधित विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहन देना चाहिए और अपने विभाग से संबंधित शब्दकोशों को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

(छ) हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को व्यापक रूप से बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इन योजनाओं का अधिकाधिक अधिकारी/कर्मचारी लाभ उठा सकें और सरकारी कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग हो।

(ज) मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि अपने-अपने कार्यालयों में हिंदी में कार्य के लिए वातावरण सृजित करने की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। इन पत्रिकाओं में कार्यालय के प्रमुख कार्यों से संबंधित लेख प्रमुखत: शामिल किए जाने चाहिए ताकि व्यवसाय विशेष में प्रयोग होने वाले शब्द के शब्दकोश में वृद्धि हो ।

(झ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठक में सदस्य कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुख अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें ।

विनियामक निदेश

अनेक विनियामक निदेश जिनमें हिंदी प्रचार-प्रसार से संबंधित निदेश भी शामिल हैं, समय-समय कर जारी किए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण निदेश निम्नानुसार है:

(क) त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट से संबंधित सूचना राजभाषा विभाग को ई-मेल से निर्धारित प्रोफार्मा में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह की 15 तारीख तक उपलब्ध कराई जाएगी। पृथक से हस्ताक्षरित प्रति भी अवश्य भेजी जाए।

(ख) सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में, वार्षिक कार्यक्रम 2011-12 से संबंधित समेकित अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को, आलोच्य वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त मई माह के अन्त में, इस प्रकरण में 31.05.2012 तक भेजी जाए।

अंतर्विभागीय समन्वय का सुदृढ़ीकरण

(क) सचिव, राजभाषा विभाग ने 16 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों को तारीख 30.11.2010 को एक अर्धशासकीय पत्र (अनुबंध-I) भेजा जिसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का नेटवर्क फैलाने, और हिंदी भाषा, टंकण और अनुवाद कौशल में प्रशिक्षण की गति तीव्र करने के निर्धारित उद्देश्यों सहित एक दूसरे के साथ घनिष्ठ समन्वय और सामंजस्य बनाने के लिए विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं। उन्हें प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को बैठक करने और उक्त सूचीबद्ध तीनों क्षेत्रों में संभावित प्रशिक्षार्थियों के संबंध में विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त डेटा बेस की स्थिति (स्टेटस) पर चर्चा को कार्य सूची में स्थायी रूप से शामिल करने के निदेश दिए गए हैं। वे प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए स्रोत व्यक्तियों, स्थान और आईटी टूल्स सहित उपकरणों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।

प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को अपनी उपलब्धियों और अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किए अभिनव प्रयोगों तथा बेहतरीन पद्धतियों के संबंध में सचिव (राजभाषा विभाग) को अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से प्रत्येक माह की 06 तारीख तक संप्रेषित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ।

सूचना प्रौद्योगिकी

(क) सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि 'LILA' अर्थात् लर्निंग इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग के लिए कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

(ख) कंप्यूटरों पर हिंदी के प्रयोग के लिए केवल यूनीकोड एनकोडिंग का प्रयोग किया जाए।

यूनिकोड के प्रयोग के लाभ:

- एकरूपता

- सभी कार्य कंप्यूटरों पर पर सरलता से किए जा सकते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, ई-मेल, वेबसाइट निर्माण आदि
- हिंदी में फाइलों की अदला-बदली सरलता से की जा सकती है (किसी भी आपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर में)

सभी कार्यालय अपनी वेबसाइट द्विभाषिक रूप में तैयार करें और हिंदी सामग्री के लिए केवल यूनिकोड एनकोडिंग का उपयोग किया जाए।

(ग) राजभाषा विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर जैसे मंत्रा-राजभाषा (कंप्यूटर से हिंदी में मशीन अनुवाद) हिंदी सीखने के लिए लीला प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ के तीन मॉड्यूलों, श्रुतलेखन-राजभाषा (हिंदी वाक् से हिंदी पाठ) और द्विदिशात्मक ई-महाशब्दकोश का प्रयोग किया जाए । राजभाषा विभाग की वेबसाइट http://rajbhasha.gov.in में इन सभी सॉफ्टवेयरों के बारे में सूचना उपलब्ध है।

(घ) इस समय सॉफ्टवेयर विकासकर्ता और प्रयोक्ता अर्थात ऐसे संबंधित विभागों, जिन्हें हिंदी यूनिटों में "मंत्रा-चैंपियन" नामित करने के लिए कहा गया है, के बीच अंतः संपर्क (इंटरफेस) करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विकासकर्ता-प्रयोक्ता के बीच सहयोग से मंत्र सॉफ्टवेयर के परिष्करण में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सके।

(ङ) सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से अनुरोध किया गया है कि वे हिंदी में आईटी टूल्स के प्रयोक्ताओं की सहायता के लिए और इस क्षेत्र में क्षमता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में पदस्थ आई.टी. विशेषज्ञों में से एक निश्चित विशेषज्ञ को इस प्रयोजनार्थ चिन्हित/अभिज्ञानित करें ताकि हिन्दी के प्रयोक्ता उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें।

(वीणा उपाध्याय)
सचिव, राजभाषा विभाग
केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार

परिशिष्ट -I

हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2011-2012 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार,बेतार,टेलेक्स, फैक्स,आरेख, ई-मेल आदि सहित)*	1.क क्षेत्र से क क्षेत्र को 75-100% 2.क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 65-100% 3.क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 50-65% 4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति क से क- 75-100% क से ख 65-100%	1.ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 75-90% 2.ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 65-90% 3.ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 45-55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति ख से क -75-90% ख से ख -65-90%	1.ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2.ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3.ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ 55% राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण*	55- 75%	40- 50%	20- 30%
4.	हिंदी टंकक,आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोडकर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजीटल वस्तुओं अर्थात हिन्दी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन डाइव तथ अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्टॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%

*ऊपर दर्शाया गया न्यूनतम स्तर का लक्ष्य अथवा पूर्ववर्ती दो वर्षों के किसी एक वर्ष में दर्ज किया गया वास्तविक उपलब्धि स्तर, जो भी अधिक हो, वर्ष 2011-12 के दौरान संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए न्यूनतम लक्ष्य होगा ।

10. वैबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
11. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12. (I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण	वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण		
13. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)		
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)		
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)		
14. कोड,मैनुअल,फार्म,प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	"क" क्षेत्र 40%	"ख" क्षेत्र 30%	"ग" क्षेत्र 20% (न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/ निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क" क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40% "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिन्दी में किया जाए ।

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार	**30%**
(ख) गठित नराकास की संख्या और आयोजित बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में **10** कार्यालयों की उपस्थिति की दशा में किया जाये)	वर्ष में न्यूनतम **02** बैठकें
(ग) यूनीकोड समर्थित द्विभाषी कंप्यूटरों की उपलब्धता	**100%**
(घ) हिंदी टंकक/आशुलिपिक	प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक
(ड़) दुभाषियों की व्यवस्था	प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषिए की व्यवस्था करा ली जाए ।

वर्ष 2011-12 का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है ।

The Annual Programme for the Year 2011-12 can be downloaded from Department of Official Language Portal

www.rajbhasha.gov.in

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, दूसरा तल, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003 द्वारा प्रकाशित

Published by Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), IInd Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.

दूरभाष/Telephone 24698054, 24643622

E-mail : ru-ol@mha.nic.in ; dirimp_ol@nic.in ; techcell-ol@nic.in